Serial Number: 191/2017

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 28th Dec., 2017.

ALL CONCERNED

Sub: Recruitment against Sports Quota.

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2017/E(Sports)/4(3)/15/System dated 05/12/2017 (RBE No.189/2017) Clarification/ Corrigendum No. 88) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Board's earlier letter dated 31/12/2010, as referred in Board's present letter, was communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial No. 05/2011.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.

28/12/17

(D. Hansda)
Sr. Personnel Officer/ RP
for Principal Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2017/E(Sports)/4(3)/15/System dated 05/12/2017 (RBE No.189/2017) Clarification/ Corrigendum No. 88)addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

विषय: **Recruitment against Sports Quota.**
सन्दर्भ: **Board's letter No. Board's letter No.2010/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010).**

Attention is invited to para 8.2.7 of Board's letter No.2010/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated 31.12.2010 (amended from time to time) inter-alia specifying that after receiving applications, screening of applications is to be done by a Committee consisting of a Personnel Officer and an ASO/Sports Officer/Sports In-charge of the Railway.

In a sports recruitment held by one of the Zonal Railways, it has been noticed that only single officer viz. ASO was nominated for screening of applications. A candidate who didn't attach even date of birth certificate and educational qualification certificates with the application was called for trial. Some candidates while appearing for trial didn't produce original certificates regarding their sports achievements but were subjected to trial.

The action of the screening committee has been scrutinized by the vigilance and it has been decided that following may be adopted:

(i) Recruitment Committee may be constituted before constitution of 'Scrutiny committee' so that the 'Scrutiny Committee' may take guidance from 'Recruitment Committee' in screening of application, when required.
(ii) The notification for Open Advertisement should specify the cut- off date for fulfillment of applicants for the age, educational and sports norms. The notification should also specify the self attested copies of acceptable documents and photograph which must be submitted alongwith the applications.
(iii) A Personnel Officer alongwith another officer may be nominated by the Recruitment Committee who will also verify the documents of the applicants appearing in trials. The officers so nominated will also ensure that there is no case of impersonation at the time of trial.

This may be ensured by all concerned during the sports recruitment.

Please acknowledge receipt.

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

क्रमिक सं.: 191/2017

पूर्व रेलवे

सं. सीपीओ/एससी/एसएएस/पोल/पार्ट.II कोलकाता दिनांक, 28 दिसंबर, 2017.

सर्व संबंधित

विषय: खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती।

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/15/सिस्टम दिनांक 05/12/2017 (आरबीई सं. 189/2017) (स्पष्टीकरण/ शुद्धि-पत्र सं.88) की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड के वर्तमान पत्र में संदर्भित बोर्ड का पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 31/12/2010 मुकाधि/ कोलकाता के क्रमिक सं.05/2011 के तहत सर्व संबंधित को प्रेषित किया गया था।

उपर्युक्त पत्र सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ अग्रसारित किया जाता है।

28/12/17

(डी. हांसदा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ आरपी

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2017/ई (स्पोर्ट्स)/ 4(3)/15/ स्पोर्ट्स दिनांक 05/12/2017 (आरबीई सं. 189/2017) (स्पष्टीकरण/ शुद्धि-पत्र सं.88) की प्रतिलिपि ।

विषय: खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी (आरबीई सं. 189बी/2010).

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 के पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 8.2.7 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया गया था कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग एक समिति, द्वारा की जाएगी जिसमें एक कार्मिक अधिकारी और रेलवे के एएसओ/स्पोर्ट्स अधिकारी/स्पोर्ट्स प्रभारी शामिल होंगे।

किसी एक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की गई खेल-कूद भर्ती में यह नोटिस किया गया है कि आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए केवल एकल अधिकारी यथा एएसओ को नामित किया गया था। एक आवेदक, जिसने आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक अर्हता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किए थे, को भी ट्रायल के लिए बुलाया गया था। कुछ आवेदकों, जो ट्रायल में भाग ले रहे थे, ने भी अपनी खेल-कूद संबंधी उपलब्धियों के मूल-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे, फिर भी उन्हें ट्रायल में बुलाया गया था।

स्क्रीनिंग समिति की इस कार्रवाई की सतर्कता द्वारा संवीक्षा की गई है और निम्नलिखित को अपनाने का विनिश्चय किया गया है:-

(i) संवीक्षा समिति के गठन से पहले भर्ती समिति का गठन किया जाए ताकि संवीक्षा समिति आवेदनों की स्क्रीनिंग करने के लिए भर्ती समिति से, जब कभी अपेक्षित हो, दिशा-निर्देश प्राप्त कर सके।

..../

(ii) खुले विज्ञापन के लिए अधिसूचना में आवेदकों की आयु, शैक्षणिक तथा खेल-कूद संबंधी मानदंड पूरा करने के लिए अंतिम तारीख स्पष्ट की जानी चाहिए। इस अधिसूचना में स्वीकृति योग्य दस्तावेज़ों की स्व सत्यापित प्रतियाँ और फोटो का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, जिन्हें आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना है।

(iii) भर्ती समिति द्वारा, कार्मिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी नामित किया जाना चाहिए, जो ट्रायल में भाग ले रहे आवेदकों के दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे। नामित किए गए अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रायल के समय वास्तविक आवेदक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के होने का कोई मामला न हो।

सभी संबंधितों द्वारा खेल-कूद भर्ती के दौरान इसे सुनिश्चित किया जाए।

कृपया पावती दें।

(भास्कर रॉय चौधरी)
उप निदेशक/स्थापना (स्पोर्टस)